

TENDER NOTICE
Auction of Banks Vehicle

Central Bank of India, Regional Office, Deoria intends to sell it's under mentioned vehicles on AS IS WHERE IS basis, The details of the two vehicles is as under,

Sr. No	Make	Registration No	Model
01	TATA INDICA VISTA	UP14-BK-8084	2011
02	TATA INDICA VISTA	UP32-DV-4212	2011

- The Reserve Price fixed for the Vehicles is below

Sr. No	Make	Registration No & Model	Reserve price
01	TATA INDICA VISTA	UP14-BK-8084 (2011)	76000/-
02	TATA INDICA VISTA	UP32-DV-4212 (2011)	65500/-

- Interested individuals are required to submit bid as per format attached in a sealed cover with non-refundable fee of Rs. 200/- (application fees) and refundable deposit of Rs. 5000/- per vehicle (Rs.2000/- for staff & ex-staff) by separate DD/Pay Order favoring Central Bank Of India, Regional Office, Deoria.
- The tender bid without Tender Fee (not applicable to staff/ex-staff) and Tender Deposit will not be entertained,
- Inspection of the vehicles can be done by interested individuals from 01.06.2024 to 14.06.2024 between 11 am to 5 pm (contact Chief Manager Mr.R.S.Ray, mobile no. 8303713745)
- The sealed cover should boldly super scribe "TENDER BID FOR PURCHASE OF BANKS CAR IN AUCTION "and must reach to Chief Manager, BSD, Central Bank Of India, Regional Office, Deoria, Nagar palika Road Deoria before 4 p,m, by 14.06.2024
- Any Bids received there after will not be entertained.
- The Bids will be opened on DT. 14.06.2024 at 4.30 pm in Regional Office ,Central Bank Of India, deoria Nagar palika Road Deoria in presence of Bidders,
- Applicant with the highest bid will be given 7 day's time for making full payment.
- The vehicle will be delivered to the highest bidder after all formalities of (registration transfer, insurance & RTO etc.) are completed by the purchaser and documents to this effect are given to the bank.
- The vehicle will be delivered to the highest bidder after paying full amount within three days on his obtaining NOC as per Form 28 from RTO authorities, For getting the vehicle registered at his place of choice the Bank will extend full cooperation by way of giving the required letter /certificate for obtaining NOC while the responsibility and the expenses will be solely borne by the purchaser
- Bank will be discharged from its liability from the date of sale of vehicle.

राष्ट्रीय कार्यालय, देवरिया

REGIONAL OFFICE, DEORIA

- Purchaser has to get the vehicle transferred / registered in his name within one month from the date of NOC as per MV Act ;
- In case of Successful Bidder: The refundable deposit will be refunded only on production of the proof (copy of RC with due endorsements) of having the vehicle transferred in the name of purchaser,
- All charges expenditure for transfer/registration of the vehicle will be borne by the purchaser,
- Failure to make full payment within 7 days from the date of intimation to the successful bidder, Bank will forfeit Refundable deposit, No further correspondence will be entertained
- In case of no response from H1 bidder, the EMD shall be forfeited and offer extended to H2 (H2 to match the rate of H1). Similar procedure shall be followed in respect of H2/H3 etc. till the bank is able to get the Reserve price. Vehicle shall not be disposed of below the Reserve price.
- In case of any dispute, jurisdiction will be restricted to Deoria only.
- Bank reserves its right to accept/reject any tender/proposal without assigning any reason.

(R.S.RAY)
Chief Manager -BSD

क्षेत्रीय कार्यालय, देवरिया

REGIONAL OFFICE, DEORIA

क्षेत्रीय कार्यालय/बीएसडी/202425/17

दिनांक: 31.05.2024

निविदा सूचना
बैंक वाहन की नीलामी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, देवरिया निम्नलिखित वाहनो को जैसा है जहाँ है के आधार पर बिक्री करने का तैयार है। वाहन का विवरण निम्न है :-

क्र.सं.	मेक	पंजीकरण सं.	माडल
1	टाटा इंडिका विस्टा	UP14-BK-8084	2011
2	टाटा इंडिका विस्टा	UP32-DV-4212	2011

- दोनो कार का निर्धारित आरक्षित मूल्य निम्नलिखित है :-

Sr.No	Make	Registration No & Model	Reserve price
01	टाटा इंडिका विस्टा	UP14-BK-8084 (2011)	76000/-
02	टाटा इंडिका विस्टा	UP32-DV-4212 (2011)	65500/-

- इच्छुक व्यक्तियों को संलग्न प्रपत्र के अनुसार रु. 200/- (आवेदन शुल्क) के अप्रतिदेय शुल्क तथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, देवरिया के पक्ष में रु.5000/-प्रतिदेय प्रति वाहन (तथा रु.2000/- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के समस्त स्टाफ एवं सेवानिवृत्त स्टाफ) अग्रिम जमा राशि प्रति वाहन के प्रतिदेय डीडी/भुगतान आदेश के साथ मुहरबंद लिफाफे में बंद करके प्रस्ताव जमा करना है।
- बिना निविदा शुल्क तथा बिना अग्रिम जमा राशि (ईएमडी) के बिना निविदा बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- वाहन का निरीक्षण दिनांक **01.06.2024 से 14.06.2024 तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे** के बीच किया जा सकता है. (संपर्क-आर एस राय, सम्पर्क संख्या - 8303713745)
- मुहरबंद लिफाफे पर **नीलामी में बैंक कार की खरीद के लिये निविदा बोली** लिखा होना चाहिए तथा यह मुख्य प्रबंधक-बीएसडी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, नगर पालिका देवरिया को **14-जून 2024 तक सायं 3.00 बजे तक** पहुँच जाना चाहिए।
- निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त किसी भी बोली को स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
- बोली प्रस्तावों को बोली लगाने वालों की उपस्थिति में **दिनांक 14.06.2024 को दोपहर 3.30 बजे** क्षेत्रीय कार्यालय, देवरिया में खोला जायेगा।
- सबसे उच्च बोली वाले व्यक्ति को 7 दिन के अंदर वाहन का पूरा मूल्य चुकाना होगा अन्यथा उसकी (ईएमडी) अग्रिम जमा राशि जब कर ली जाएगी।
- वाहन उच्चतम बोली लगाने वाले को पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के उपरांत आरटीओ अधिकारी से फार्म 28 के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर तीन दिन के अंदर सुपुर्द किया जायेगा।
- अपनी इच्छा अनुसार अन्य स्थान पर वाहन का पंजीकरण करने के लिये बैंक आवश्यक पत्र देकर/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कराने के लिये पूरा सहयोग प्रदान करेगा जबकि उसकी ज़िम्मेदारी और खर्च पूरी तरह खरीददार का होगा।
- बैंक वाहन की बिक्री की तारीख से अपनी ज़िम्मेदारी से मुक्त हो जायेगा।
- खरीददार को वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र की तारीख से एक महीने के भीतर कार को अपने नाम में अंतरित/पंजीकृत करा लेना होगा।
- प्रतिदेय जमा राशि खरीददार के नाम में वाहन अंतरित करने के सबूत (पृष्ठांकित आर सी(RC) की प्रति) प्रस्तुत करने पर ही धनवापसी की जायेगी।
- वाहन के अंतरण/पंजीकरण के लिये सभी प्रभार के खर्चे खरीददार वहन करेगा।
- सफल बोली लगाने वाले को सूचना देने की तारीख से 7 दिनों के भीतर पूरा भुगतान करने में असफल होने पर बैंक निविदा जमा राशि को जब्त कर लेगा। इस संबंध में आगे कोई पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।
- विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र देवरिया तक सीमित रहेगा।
- बैंक बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा/प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

आर एस राय
मुख्य प्रबंधक -बीएसडी